13

(निबंधित प्राप्ति रसीद सहित)
Registered with A/D
BR/ M43/20069

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार
REGIONAL OFFICE, BIHAR

भविष्य निधि भवन

Bhawishya Nidhi Bhawan

रोड नं० 6 आर० ब्लॉक, पटना -800 001

Road No. 6, R. Block, Patna-800 001

संख्या बी०आर०/प्र०अनु - 1/व्याप्ति/......................./.............................. दिनांक

No. BR/E.B-1/Appl / EB/BR/20069/432 Date the 06/6/03

सेवा में,

To,

M/s मेसर्स Holy Mission Sr. secondary school,
prabhatpuri Manipur, Muzaffarpur
educational u/s 1(3)(b)

विषय: कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमों का मेसर्स.. पर लागू होना ।

Sub: Applicability of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder to M/s Holy Mission Sr. secondary school, prabhatpuri Manipur, Muzaffarpur,

महोदय,

Sir,

आपके द्वारा दिनांक ....को प्रेषित विवरण के आधार पर और आपकी स्थापना का भविष्य निधि निरीक्षक/ प्रवर्त्तन अधिकारी द्वारा दिनांक.........................को किए गए निरीक्षण के आधार पर स्पष्ट होता है कि :-

On the basis of particulars furnished by you on 4.6.2003 and on the basis of the inspeciton of the record of your establishment conducted by the Provident Fund Inspector / Enforcement officer on.......................................it is evident that:

(क) आपकी स्थापना/फैक्ट्री अर्थात् मेसर्स.. जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 में स्थापनाओं की श्रेणियों/अनुसूची-1 में शामिल...कार्य में लगी हुई है ।

(a) Yourestablishment/factoryviz.M/s. Holy Mission Sr. Secondary School, Prabhat Puri Manipur, Muzaffarpur is engaged in. Educational which is included in Schedule 1/ classess of establishment in Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act., 1952

(ख) उक्त स्थापना/फैक्ट्री में दिनांक..को.................................व्यक्ति कार्यरत हैं।

(b) that the said establishment has employed 28 persons on 01.04.2001

(ग) इसने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा 16(1) (ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत को 5/3 वर्ष की प्रारम्भिक अवधि पूरी कर ली है । अतः कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अंतर्गत रचित स्कीमें, उपरोक्त नामित स्थापना , इसके मुख्य कार्यालय और इसकी शाखाओं/विभागों पर चाहे वे एक स्थान पर हैं अथवा विभिन्न स्थानों पर हैं...................................तारीख से स्थायी-अस्थायी रुप से इस शर्त पर लागू है, कि आपके पूर्व रिकार्डों की पुनः जाँच की जाएगी।

(c) that it has completed the infacncy period in terms of provisions of Sec. 16(1) of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous provisions Act, 1952 of 5/3 years on..therefore, the provisions of the E.P.F. and Misc.Provisions Act., 1952 and the Scheme framed there under are applicable to your above named establishment together with head office and its branches/departments whether situated at the same place or at different places with effect from April, 2001 **finally/provisionally** subject to further verification of your records for the earlier period.

अधिनियम की धारा 1(4) के अन्तर्गत स्वैच्छिक आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम आपकी स्थापना पर लागू करने के लिए आपसे प्राप्त आवेदन पत्र संख्या..............................दिनांक......................के संदर्भ में आपकी स्थापना अर्थात् मेसर्स..को **कोड संख्या**..एलाट किया जा रहा है। अभी आपकी स्थापना को कार्यक्षेत्र में अस्थायी रुप से दिनांक..........................से लाया जा रहा है, जब तक सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा (1) उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर लेती ।

With reference to your application No. 201 200069 dated 4.6.2003 received for extension of E.P.F. & Misc. Provisions Act, 1952 under Section 1 (4) of the said Act, on a voluntary basis a **code no.** BR/20069 is hereby allotted to your establishment namely M/s. Holy Mission Sr. Secondary School, Muzaffarpur provisionally covering your establishment with effect from............................pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by subsection (4) of Section 1 of the E.P.F. & Misc. Provision Act. 1952.

2. आपकी स्थापना को **कोड नम्बर**.. कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम 1952 और उसके अन्तर्गत रचित स्कीमों अर्थात भविष्य निधि स्कीम, 1952 कुटुम्ब पेंशन स्कीम 1971, क० पे० यो० 16.11.95 से प्रभावी और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के विभिन्न उपबन्धों के अनुपालन के लिए आवंटित किया गया है। **यह कोड नम्बर इस कार्यालय के साथ पत्राचार करते समय अनिवार्य रुप से उद्धत किया जाना चाहिए ।**

The **code No.** BR./20069 is allotted to your estt. for the purpose of making compliance with the various provisions of the E.P.F. & Misc. Provisions Act. 1952 F.P.F Scheme, 1971, Employees Pension Scheme W.E.F.16.11.95 and Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 . **This code No. should invariably by quoted in all the correspondences with this office.**

नियोक्ता द्वारा देय अंशदान की दर मूल वेतन मंहगाई भत्ता (किसी भी खाद्य रियायत की नकद मूल्य सहित) निर्वाह भत्ता यदि कोई है, प्रत्येक कर्मचारी को **8.33% / 10** प्रतिशत की दर से प्रतिमाह देय होगा । कर्मचारी द्वारा देय अंशदान की दर नियोक्ता द्वारा देय दर के समान होगी।

(12)

The contribution payable by the employer shall be at the rate of **8.33% /10%** of basic wages dearness allowance (including cash value of any food concession) and retaining allowance, if any payable to each employee every month. The contribution payable by the employee shall be equal. to the contribution payable by the employer.

(i) अंशदान की संगणना पूरे माह के दौरान मिलने वाले मूल वेतन, मंहगाई भत्ता आदि, चाहे दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक आधार पर की गई हो, की जाएगी ।

1. The contribution shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc payable during the whole month whether paid on daily, weekly , fortnightly basis.

(ii) अंशदान की संगणना हेतु वेतन को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को,एक रुपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जायगी ।

2. Each contribution shall be calculate to the nearest rupee i.e. 50 paise or more to be counted, as the next higher rupee and fraction of a rupee less than 50 paise to be ignored.

(iii) अंशदान कीसंगणना हेतु वेतन को निकटतम रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा अर्थात् 50 पेसे या उससे अधिक को एक रुपया माना जाएगा तथा 50 पैसे से कम की गणना नहीं की जाएगी ।

3. For the purpose of calculation of contribution, the wages may be round off to the nearest ruppe i.e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

(IV). सदस्यों को वेतन देने से पूर्व आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप उसके वेतन से अनिवार्य रुप से अंशदान काटें और अपने अंशदान यथा प्रशासकीय प्रभार की राशि सहित प्रत्येक माह के 15 तारीख से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में निधि के लेखों में संबंधित चालानों द्वारा निम्नलिखित रुप से जमा करायें ।

(क)	**क०भ०नि० अंशदान**	**क०भ०नि० लेखा सं 01 में जमा कराया जाए ।**
(ख)	**प्रशासकीय प्रभार**	**क०भ० नि० लेखा सं० 2 में जमा कराए ।**
(ग)	**प० पेंशन अंशदान**	**क०भ० पे० लेखा सं० 10 में जमा कराया जाए ।**
(घ)	**कर्मचारी पेंशन अंशदान (16.11.95 से प्रभावी)**	**क०पे० लेखा सं० 10 में 8.33 की दर से नियोक्ता का अंशदान जमा कराया जाए।**

4. Before paying the member his wages, you shall deduct the employeess contributions from wages which together with your own contribution and administrative charges shall be paid within 15 days of the close of every month in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separated challans in the following manner:-

(a)	**E.P.F. contribution**	**To be deposited in E.P.F. A/c No. 1**
(b)	**Administrative charges**	**To be deposited in E.P.F. A/c No. 2**
(c)	**Family Pension contribution**	**To be deposited in Employee's Family Pension A/c. No. 10**
(d)	**Employee's Pension scheme contribution w.e.f. 16.11.95**	**To be deposited in Employee's Pension Scheme @ 8.33% in A/c No. 10 from Employer's share**

टिप्पणी :- प्रशासकीय प्रभार की दर 1.10.86 से वेतन,मूल वेतन,महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में किसी प्रकार की रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, 0.65 प्रतिशत जो न्यूनतम 5 रुपये हैं ।

Note: (i) The rate of administrative charges is 0.65% subject to a minimum of Rs. 5/- w.e.f. 1.10.86 of Pay , basic wages, dearness allowance including cash value of any food-concession and retaining allowance, if any.

(ii) कृपया इस बात को नोट किया जाय यदि सदस्य के वेतन से समय पर कटौती नहीं की जाती तो नियोक्ता को दोनों के भाग की राशि स्वयं जमा करनी होगी , क्योंकि कर्मचारी के बाद के वेतन से पहले के बकाया अंशदान की कटौती निपेध है, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां से वसूली समय पर अकस्मात गलती अथवा लिपिकीय गलती के कारण नहीं हो सकी ।

(ii) It may be noted that if timely deduction are not made from the member wages the employer will have to pay

both the shares himself , as the recovery of arrear contributions for the back period from the subsequent wages the employees' is prohibited except when such recovery could not be made at the appropirate time due to accidental mistake or clerical error.

(iii) परिवार पेंशन स्कीम इस कवरेज डेट के जारी होने के माह की पहली तारीख से लागू होगी :

(iii) The Family Pension Scheme will be applicable from the date i.e. 1st day of the month date of coverage.

(iv) कर्मचारी पेंशन स्कीम 16.11.95 के बाद वाले तिथि या इस कवरेज नोटिस के जारी होने के माह की वसूली तारीख से लागू होगी।

(iv) Employees Pension Scheme will be effective w.e.f. 16.11.95 will be applicable from prospective date i.e. 1st of the month of issue of this coverage notice.

(v) उल्लिखित लेखा संख्या 1 ,2 और 10 में जमा कराने के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षित है कि आप कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत अंशदान और प्रशासन प्रभार लेखा संख्या 21 और 22 में प्रत्येक माह की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर निम्नलिखित रुप से जमा करायें ।

(v) Besides making deposits in account number 1,2 and 10 as explained above, you are also required to deposits the contributions and Adm. charges in account No. 21 and 22 under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

(1)	निक्षेप सहबद्ध बीमा निधि लेखा संख्या - 21	इस लेखों में अंशदान की दर नियोक्त द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाले मूल वेतन, महंगाई भत्ता जिसमें खाद्य मूल्य में रियायत और प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है, की कुल राशि की **0.5%** होगा ।
(i)	**Deposit Linked Insurance Fund A/c No. 21**	To this account will be deposited the contributions **@ 0.5%** Which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance including cash value of food concession and retaining allowance if any, payable to the employees by an employer.
(2)	क्षेत्रीय बीमा निधि-प्रशासकीय लेखा संख्या 22	इस लेख में प्रशासकीय प्रभार की दर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को अदा किए जाने वाला मूल वेतन, महंगाई भत्ता, जिसमें खाद्य मूल्य संबंधी रियायत और प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई है, कुल राशि का **0.01** प्रतिशत होगा तथा न्यूनतम **2/-** रुपये होगा ।
(2)	**Regional Insurance Fund Administrative A/c No. 22**	To this account will be deposited the administration charges @ **0.01%** (subject to minimum Rs. 2) which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession and retaining allowance, if any. payable to the employees , by an employer.

उपरोक्त लेखों अर्थात, 1,2,10, 21 और 22 में राशि विभिन्न चलानों के माध्यम से जमा कराई जाएगी प्राप्त चालानों की तीन प्रतियाँ फार्म संख्या 12 (संशोधित) (नीचे उल्लिखित) के साथ इस कार्यालय को भेजी जानी चाहिए ।

The deposit in the above accounts, viz. 1,2,10,21 and 22 are to be made by separate challans and quardplicate copies of the challans as received from the Bank, should be forward to this office duly attached with form No. 21 A (Revised) (explained below)

11

6. आपसे अपेक्षित है कि आप निम्नलिखित रिटर्न तैयार/प्रेषित करें :—

You are required to maintain/forward the following returns:-

(1)	क.भ.नि. स्कीम 1952 के अंतर्गत फार्म सं० 9 प. पे.स्कीम 1971 के अन्तर्गत तथा क. पे. स्कीम 1995 के अन्तर्गत फार्म सं० 3 (प.पें.निधि तथा क० पे० निधि)	ये रिटर्न केवल उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस कार्यालय को केवल एक बार जमा करानी होती है जिन्हें फैक्ट्री/स्थापना की स्कीम के कार्यक्षेत्र में लाने की तिथि से सदस्य बनाया जाना अपेक्षित हैं या सदस्य बनने के पात्र हो गये हैं।
(i)	**Form No. 9 under the E.P.F. Scheme 1952 & F No. 3(F.P.F.) / 3(P.S.) member under F.P. Scheme 1971 and E.P.S. 1995.**	There are to be submittted this office once in respect of these employees who are required or entitled to become member on the date the factory/establishment is covered under is covered under the Scheme.
(2)	क.भ.नि. स्कीम 1952 और प.पे. निधि 1971 के अन्तर्गत तथा क.पें.स्कीम 1995 के फार्म सं०2 संशोधित	ये फार्म प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त कर इस कार्यालय भेजे जाने होते हैं
(2)	**Form No. 2 under the E.P.F. Scheme 1952 under the F.P. Scheme 1971 and Employees Pension Scheme 1995.**	These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office
(3)	फार्म सं० 5-क	ये दो प्रतियों में इस कार्यालय को भेजे जाने चाहिए। मालिकों में किसी भी प्रकार का बाद में परिवर्त्तन आने पर इस फार्म के माध्यम से इस कार्यालय को सूचित किया जाना चाहिए।
(3)	**Form No. 5-A**	This is to be submitted to this office in duplicate. Any subsquent changes in ownership is also to be notified to this office through this form.
(4)	फार्म सं० 3-क	ये फार्म प्रत्येक सदस्य/कर्मचारी संबंधित फार्म है जिसे फैक्ट्री स्थापना में ही रखा जाना चाहिए इस फार्म में भ. नि. में किए गए अंशदान की प्रतिमाह प्रविष्टी करना होता है ।
(4)	**Form No. 3-A**	This is to be maintained at the factory establishment in repsect of every employee who is a member in which the contribution paid to the P.F. are to be posted every month.
(5)	फार्म सं० 6-क	यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिनों के भीतर फार्म 3-क के साथ (फरवरी माह से संबंधित अंतिम, अंशदान प्रत्येक वर्ष मार्च में अदा किया गया दिखाया जाना चाहिए ।) इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होताहै।
(5)	**Form No. 6-A**	This is the annual return of contribution and is to be submitted to this office within 30 days of close of the financial year, along with form/3-A (Last contribution to be show for Feb. payable

in March each year.)

(6) फार्म सं० 12-क

यह अंशदान का रिटर्न फार्म है, जिसे प्रत्येक अगले माह की 25 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है। भारतीय स्टेट बैंक में जमा की गई राशि से सम्बन्धित चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न कराई जानी चाहिए।

(6) **Form No. 12-A**

This is the monthly return of contribution and is to submitted to this office by 25th of every following month Triplicate copies of the challans in support to the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(7) फार्म सं० 5 और 10

यह उन कर्मचारियों से संबंधित रिटर्न है जो माह के दौरान नए सदस्य बनाए जाते हैं या नौकरी छोड़ जाते हैं और इन्हें अगले माह की 15 तारीख तक इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होता है।

(7) **Form No. 5 & 10**

These are the returns of employees who have becomes new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 15th of the following months.

7 कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 कुटुम्ब पेंशन निधि स्कीम, 1971 कर्मचारी पेंशन निधि स्कीम 1995 और निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 से सम्बन्धित सभी निर्धारित फार्म भविष्य निधि कार्यालय में उपलब्ध है और इन्हें **नि:शुल्क** आपकी मांगपत्र प्राप्त होनेपर दिया जाता है। नमूना फार्म संलग्न है।

7. All forms prescribed under the Employees Provident Fund Scheme, 1952, the Family Pension Fund Scheme 1971, Employees Pension Scheme 1995 and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the P.F. Office and will be supplied **free of cost** on receipt to your indent. The specimen of forms are enclosed.

8. क.पें.अंशदान 16-11-95 से अंशदान के संबंध में इन्हें नियोक्ता का 8.33 % कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान से अलग किया जाना चाहिए और संबंधित फार्म में अलग से दिखाकर केवल माह..से लेखा सं० 10 में जमा कराया जाना होता है।

8 Regarding Employees Pension Scheme 1995 w.e.f 16-11-95 Employers' Provident Fund Contribution @ 8.33% should shown separately in the respective Forms and remitted separately in Account No. 10 from the month of.........................only.

9. कर्मचारी भविष्य निधि,प०पें०. निधि अंशदान, और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा से संबंधित बकाया राशि.................. ....माह का दिनांक.....................को या इससे पूर्व जमा कराना होता है।

9 As regards the arrears Employees Provident Fund/Family Pension Scheme/ and Employees Deposit Linked dues for the period from....May, 2001 to May 2003.........should be remitted on or before....15.06.2003.........

10. यदि इस स्कीम को लागू करते समय फार्म सं० 9 में दिखाए गए कर्मचारी स्थापना की निजी भविष्य निधि स्कीम के सदस्य थे तो उनके खाते में जमा भविष्य निधि की राशि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा रखे जा रहे कर्मचारी भविष्य निधि लेखा संख्या 1 में निर्धारित चालानों में जमा करायी जाय और चालान की तीन प्रतियां इस कार्यालय को भेजनी चाहिए। भविष्य निधि में निवेश की गई समस्त राशि से सम्बन्धित सभी प्रतिभूतियों को चार माह के अन्दर केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के पक्ष में हस्तांतरण कर दिया जाना चाहिए और हस्तांतरित की गई इन प्रतिभूतियों को इस कार्यालय को भेज दिया जाना चाहिए। राशि के अंतरण के संबंध में दिए गए निर्देशों से संबंधित नोट संलग्न किया जा रहा है। निजी भविष्य निधि के लेखों में उपलब्ध रोकड़ को इस पत्र की प्राप्ति के 30

(10)

दिनों के अन्दर अंतरण कर दिया जाना चाहिए अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद रोकड़ अन्तरण करने के लिए आपको निर्धारित दर से शास्तिक नुकसान अदा करनी होगी ।

10. In case, the employees shown in Form 9 were the members of the establishment's private provident Fund at the commencement of the Scheme, the accumulation in the provident Fund standing to their credit should be remitted into the State Bank of India to the credit of the E.P.F. Account No. 1 through the prescribed challans and the triplicate copy of the challans sent to this office. All the amount relating to the Provident Fund accumulations lying invested in securities should be transferred to the E.P.F. within four months by having the securities transferred to and endorsed in favour of the Central Board of Trustees. Employees' Provident Fund, and the Securities thsu transferred should be sent to this Office. A note containing the instructions in the matter of transfer to these accumulations is enclosed. Cash on hand in relation to the Accounts of the private Provident Fund should be remitted within 30 days from the date of receipt of this coomunication, failing which damages at the prescribed rates will have to be paid by you on the delayed remittances made in cash after the due date.

कृपया पत्र व अनुलग्नों की प्राप्ति रसीद भिजवाने की व्यवस्था करें ।

The receipt of this letter along with its enclousures may kindly be acknowledged.

06.06.2013

C.R. Rajesh

क्षेत्रिय भविष्य निधि आयुक्त,बिहार,पटना

~~for~~ ~~Regional~~ Provident Fund Commissioner,Bihar,Patna

A.O.

अनुलग्नक :

Encl :

1. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, कुटुम्ब पेंशन स्कीम, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम को लागू करने से संबंधित निर्देश ।
1. Instructions regarding implementation of the Employees' Provident Fund Scheme, Family Pension Scheme, Employees Pension Scheme 1995 and Employees Deposit Linked Insurance Scheme.
2. लेखा संख्या अलाट करने से संबंधित निर्देश ।
2. Instructions regarding allotment of Account Nos.
3. पूर्व भविष्य निधि राशि और प्रतिभूतियों को हस्तान्तरित करने से सम्बन्धित निर्देश ।
3. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund Accumulations and transfer of securities.
4. कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान, कुटुम्ब पेंशन अंशदान, क० पें० स्कीम अंशदान, निक्षेप सहबद्ध बीमा अंशदान की संगणना से संबंधित रेडी रेकनर ।
4. Ready Reckoner for calculation of Provident Fund contributions, Family Pension contribution, Employees Pension Scheme Contribution and Deposit Linked Insurance contribution.

प्रतिलिपिः बी.आर./प्र०अनु-1/व्याप्ति/......................./......... दिनांक...................

Copy: B.R / E.B -1 /Appl/.../......... Date.........................

1. श्री/श्रीमती..प्रवर्तन अधिकारी /भविष्य निधि निरीक्षक को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रेषित की जाती है, उनसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि स्थापना से सम्बन्धित फार्म 5-क की दो प्रतियाँ स्थापना से प्राप्त करें ।

1. Area Enforcement officer / Provident Fund Inspector. Shree/Smt..for watching compliance. He/She is requested to obtain Form 5-A in duplicate in respect of the establishment immediatley.

2. लेखा अनुभाग, उपक्षेत्रीय कार्यालय...(यह समझा जाता है कि इस फैक्ट्री/स्थापना के पास भविष्य निधि से संबंधित ऐसी राशि उपलब्ध है/नहीं है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि को अंतरित किया जाना है । इस ग्रुप द्वारा रखे जा रहे अंशदान रजिस्टर में आवश्यक अभ्युक्तियों के साथ नोट किया जाए ।

2. Accounts Branch/Sub-Regional Office..(It is understood that this factory/ establishment has/had no previous Provident Fund accumulations to transfer to Employees Provident Fund This may please be noted in the contributions Register maintained in the group with suitable remarks).

3. प्रवर्तन अनुभाग...
3. Enforcement Branch..
4. दांडिक हर्जाना अनुभाग
4 Panel Damage Section
5. कभरेज गार्ड फाईल
5. Coverage Guard file

कृते क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

MUZAFFARPUR
Sub-Regional Office EPF
For Regional Provident Fund Commissioner
Asstt. P. F. Commissioner
Bihar, Patna.